भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2382

15.12.2025 को उत्तर के लिए

गिरती वायु गुणवत्ता से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम

2382. **श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:**
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कश्यप:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य आपातकाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार प्रोटोकॉल पर दायर याचिकाओं का संज्ञान लिया है;

(ख) प्रमुख महानगरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए दायर किए गए निवेदनों का ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर सहित राज्य-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य परामर्श/आपातकालीन प्रोटोकॉल जारी करने का विचार है और यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) औद्योगिक जिले सिंगरौली में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सिंगरौली में कार्यरत सभी कंपनियां राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और पर्यावरण मानकों का पूर्णतः अनुपालन कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि मौसम अनुसार धूल भरी आंधी और राजमार्गों पर उत्सर्जन से उक्त क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 13029/1985 एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित

मामलों की समय-समय पर समीक्षा की है तथा इस संबंध में संबंधित हितधारकों को निदेश जारी किए हैं। इस संदर्भ में, इस मंत्रालय से संबंधित निदेशों के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्शी जारी की है, जिससे जन-जागरूकता तथा स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया हेतु विभिन्न कार्यकलापों का समर्थन किया जा सके। उक्त परामर्श का विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शी जारी करते हैं तथा वायु प्रदूषण को न्यूनतम करने, रोकथाम करने और स्वास्थ्य प्रभावों से सुरक्षा के लिए 'क्या करें और क्या न करें' (Do's and Don'ts) पर जागरूकता भी फैलाते हैं।

(घ): सिंगरौली ज़िले का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 130 है। वर्ष 2025 में (नवंबर माह तक) अच्छे दिनों की संख्या वर्ष 2022 की तुलना में 145 से बढ़कर 252 हो गई है।

(ड.): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निदेश जारी किए हैं कि वे रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का– 6 माह, 1 वर्ष तथा 2 वर्ष की आवृत्ति पर– पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के सत्यापन का निरीक्षण करें। इसके अतिरिक्त, सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन/उपचार सुविधाएँ, जैसे कि एसटीपी, सीईटीपी, सीबीएमडब्ल्यूटीएफ आदि तथा उच्च प्रदूषण क्षमता वाली 17 श्रेणियों के उद्योगों का तिमाही निरीक्षण एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी रिपोर्ट दी है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिंगरौली ज़िले के अधिकारक्षेत्र में संचालित सभी ताप विद्युत संयंत्रों, कोयला खानों तथा संबंधित उद्योगों की नियमित निगरानी की जा रही है।

(च): संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी मानकों के अनुरूप परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़े संकलित करने हेतु निगरानी स्टेशन स्थापित करती हैं।
